

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 12, 2025 Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (गुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 30, 2025

संख्या प. 35(1) गृह&9/2006 पार्ट :-राज्य सरकार को अवगत कराया गया है कि बीकानेर जिले से लगने वाली भारत&पाकिस्तान सीमा पर तस्करों घुसपैठियों व अन्य असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश व अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका है व बीकानेर जिले की अन्तराष्ट्रीय सीमा के निकट विभिन्न स्थानों में स्थित पीसीओ के माध्यम से आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति इन केन्द्रों पर जाकर दूरसंचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं उन व्यक्तियों को भेजते हैं जो भूमिगत होकर देश अथवा राज्य की सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था के संधारण में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके साथ ही जिले से लगने वाली पाकिस्तान सीमा के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्तर्गत 3&4 किलोमीटर तक आ रहा है फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने एवं पीसीओ से सम्पर्क सूचना आदि देने की गतिविधियों से लोक परिशांति लोक व्यवस्था एवं राज्य की सुरक्षा के संधारण में गंभीर खतरा बन गया है।

राज्य सरकार की सन्तुष्टि हो गयी है कि बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों के रोके जाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 8027 दिनांक 21.10.2025 द्वारा लागू किये गये रात्रि कालीन अनिश्चार एवं पाकिस्तानी मोबाइल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 8027 दिनांक 21.10.2025 की अवधि एतद्वारा आगामी छः माह (दिनांक 20.4.2026) तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,

शासन उप सचिव।

12949

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।